



### **SOP: Executive Hostel Rooms**

National Institute of Fashion Technology (NIFT) Bhopal is located on Indore-Bhopal Bypass Road, Bhauri, Bhopal-462030 (M.P.). In the Hostel Complex of NIFT Bhopal Campus there are some rooms with attached toilets and bathrooms which may be allotted to eligible persons. Rules governing the allotment of these rooms, hereinafter referred to as Executive Hostel Rooms (EHR) are given in the following paras:

#### **Rules governing the Allotment of Executive Hostel Rooms (EHR)**

##### **1. Accommodation Available in the Hostel Complex:**

The hostel complex at NIFT Bhopal has eight (08) EHRs which may be allotted to eligible persons on requirement basis.

##### **2. Eligibility:**

The EHR is primarily meant to accommodate:

- NIFT Employees
- Visiting Faculty/ Guest Faculty
- Examiners/ Members of Jury/ Other experts visiting for imparting academic inputs
- Members of NIFT Committees/Inspection Committees/Inquiry Committees
- Participants to Seminars/ Workshops/ Symposia/ Training Programs organised by NIFT
- Guests of NIFT Employees
- Artisans
- Parents of NIFT Students
- Any other person not covered in the categories above and permitted by the NIFT Centre Director/ Joint Director

All allotments shall be made in the order of preference mentioned above.

##### **3. Duration of Stay:**

Except for permission granted under special provision (Para-5 of this SOP), ordinarily, an occupant shall be permitted to stay for 5 days. However, the Centre Director, under special circumstances may permit the occupant to stay for up to 10 days depending on the nature/purpose of the stay.

##### **4. Charges:**

The room rent for the stay in the EHR will be as follows:

Occupancy	Charges (GST extra)
Single Occupancy	500/-
Double Occupancy	350/- per person

The room rent shall be charged on a per night basis. The room rent shall not be charged if the stay is for less than six hours.

##### **5. Special Provisions:**

- Regular / Long Term Contract NIFT Bhopal employees desirous of availing accommodation for a longer duration may be permitted, based on an application, by the Campus Director/Joint Director. Such employee shall be charged an amount equivalent to his/her HRA entitlement.

This allotment shall be made for a maximum duration of three months at a time and may be extended, based on availability.

- b. Short Term Contract / Temporary NIFT Bhopal employees desirous of availing accommodation may be permitted, based on an application, by the Campus Director/Joint Director. Such employee shall be charged an amount equivalent to the existing Collectorate Rate.
- c. Artisans from a humble background may be provided accommodation for short duration on gratis basis.

**6. Catering:**

Meals will be provided by the mess caterer on payment basis at existing contract rates. The payment shall be made directly to the mess contractor.

7. The occupant will make any entry in the register available with the guard, soon after arrival and again before leaving the EHR. The occupant may check-in at any time. However, for the purpose of accounting, the number of nights in the EHR would be used for calculation of charges.
8. All payments shall be against on official receipt.
9. Person using the EHR will make good any damage caused by them to the building or furniture or fixtures or any other property of the EHR during their period of stay.
10. A person suffering from infectious or contagious disease shall not be allowed to stay in the EHR.
11. The Institute shall not be responsible for any loss or damage to person or the property of any occupant during their stay in the EHR.
12. The accommodation in the EHR cannot be claimed as a matter of right.
13. Allotment of accommodation in the EHR shall not confer on the allottee any right of tenancy of the premises and the Institute shall have the right to get the rooms vacated at any time without giving any notice or assigning any reason in case of unauthorised stay/overstay.
14. The use of alcoholic drinks in the Hostel Complex/NIFT Campus is strictly prohibited.
15. The decision of Director NIFT Bhopal shall be final with regard to interpretation of these rules.
16. These rules may be amended with the approval of Director NIFT Bhopal.
17. These rules will come into effect (will implement) after the approval of the Competent Authority.



### **एसओपी: कार्यकारी छात्रावास के कमरे**

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) भोपाल इंदौर-भोपाल बाईपास रोड, भौरी, भोपाल-462030 (म.प्र.) पर स्थित है। निफ्ट भोपाल परिसर के छात्रावास परिसर में संलग्न शौचालयों और स्नानघरों के साथ कुछ कमरे हैं जिन्हें पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जा सकता है। इन कमरों के आवंटन को नियंत्रित करने वाले नियम, इसके बाद कार्यकारी छात्रावास के कमरे (ईएचआर) के रूप में संदर्भित निम्नलिखित पैरा में दिए गए हैं:

### **कार्यकारी छात्रावास के कमरे (ईएचआर) के आवंटन सम्बंधित नियम**

#### **1. छात्रावास परिसर में उपलब्ध आवास:**

निफ्ट भोपाल के छात्रावास परिसर में आठ (08) ईएचआर हैं जिन्हें आवश्यकता अनुसार पात्र व्यक्तियों को आवंटित किया जा सकता है।

#### **2. पात्रता:**

ईएचआर मुख्य रूप से समायोजित करने के लिए है:

- क) निफ्ट कर्मचारी
- ख) विजिटिंग फैकल्टी / गेस्ट फैकल्टी
- ग) अकादमिक इनपुट प्रदान करने के लिए आने वाले परीक्षक/जूरी के सदस्य/अन्य विशेषज्ञ
- घ) निफ्ट समितियों/निरीक्षण समितियों/जांच समितियों के सदस्य
- ङ) निफ्ट द्वारा आयोजित संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/संगोष्ठियों/प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने वाले
- च) निफ्ट कर्मचारियों के अतिथि
- छ) हस्तशिल्पी
- ज) निफ्ट छात्रों के माता-पिता
- झ) कोई अन्य व्यक्ति जो उपरोक्त श्रेणियों में शामिल नहीं है और निफ्ट केंद्र निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा अनुमति दी गई है।

सभी आवंटन उपरोक्त वरीयता के क्रम में किए जाएंगे।

#### **3. रहने की अवधि:**

विशेष प्रावधान (इस एसओपी के पैरा-5) के तहत दी गई अनुमति को छोड़कर, आमतौर पर, एक रहने वाले को 5 दिनों तक रहने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, केंद्र निदेशक, विशेष परिस्थितियों में ठहरने की प्रकृति/उद्देश्य के आधार पर, रहने वाले को 10 दिनों तक रहने की अनुमति दे सकते हैं।

#### **4. शुल्क:**

EHR का शुल्क निम्नानुसार होगा:

अधिभोग	शुल्क (GST अतिरिक्त)
सिंगल अधिभोग	500/-
डबल अधिभोग	350/- प्रति व्यक्ति

कमरे का किराया प्रति रात्रि के हिसाब से लिया जाएगा। छह घंटे से कम रहने पर कमरे का किराया नहीं लिया जाएगा।

#### 5. विशेष प्रावधान:

क) परिसर निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा एक आवेदन के आधार पर लंबी अवधि के लिए आवास प्राप्त करने के इच्छुक निफ्ट भोपाल के नियमित/दीर्घकालिक अनुबंध कर्मचारियों को अनुमति दी जा सकती है। ऐसे कर्मचारी से उसकी एचआरए पात्रता के बराबर राशि ली जाएगी। यह आवंटन एक बार में अधिकतम तीन महीने के लिए किया जाएगा और उपलब्धता के आधार पर इसे बढ़ाया जा सकता है।

ख) कैंपस निदेशक/संयुक्त निदेशक द्वारा आवेदन के आधार पर लंबी अवधि के लिए आवास प्राप्त करने के इच्छुक अल्पकालिक अनुबंध/अस्थायी निफ्ट भोपाल कर्मचारियों को अनुमति दी जा सकती है। ऐसे कर्मचारी से मौजूदा समाहरणालय दर के बराबर राशि वसूल की जाएगी।

ग) साधारण पृष्ठभूमि के कारीगरों को मुफ्त आधार पर अल्पावधि के लिए आवास प्रदान किया जा सकता है।

#### 6. खानपान:

मेस कैटरर द्वारा मौजूदा अनुबंध दरों पर भुगतान के आधार पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। भुगतान सीधे मेस ठेकेदार को किया जाएगा।

7. अतिथि आगमन के तुरंत बाद और ईएचआर छोड़ने से पहले, गार्ड के पास उपलब्ध रजिस्टर में कोई भी प्रविष्टि करेगा। रहने वाला किसी भी समय चेक-इन कर सकता है। हालांकि, लेखांकन के प्रयोजन के लिए, शुल्कों की गणना के लिए ईएचआर में रातों की संख्या का उपयोग किया जाएगा।

8. सभी भुगतान आधिकारिक रसीद पर होंगे।

9. ईएचआर का उपयोग करने वाले व्यक्ति अपने रहने की अवधि के दौरान ईएचआर के भवन या फर्नीचर या जुड़नार या किसी अन्य संपत्ति को होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई करेंगे।

10. संक्रामक या छूत की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को ईएचआर में रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

11. संस्थान ईएचआर में रहने के दौरान किसी भी व्यक्ति या संपत्ति के नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

12. ईएचआर में आवास का अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है।

13. ईएचआर में आवास का आवंटन आवंटियों को परिसर के किरायेदारी का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा और संस्थान को किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिए या अनधिकृत रहने/रहने के मामले में कोई कारण बताए बिना कमरे खाली करने का अधिकार होगा। overstay.
14. छात्रावास परिसर/निफ्ट परिसर में मादक पेय का उपयोग सख्त वर्जित है।
15. इन नियमों की व्याख्या के संबंध में निदेशक निफ्ट भोपाल का निर्णय अंतिम होगा।
16. निदेशक निफ्ट भोपाल के अनुमोदन से इन नियमों में संशोधन किया जा सकता है।
17. सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बाद ये नियम प्रभावी (लागू होंगे) होंगे।